डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी:– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:– 162/2004

दर्ज दिनांक:– 04.10.2004

जी.सी.एम.एस.नं.– 2018/00325

निर्णय दिनांक:– 28.03.2022

बनवारी **बनाम** **सांवलराम आदि**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–................. .... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वादी का वादपत्र राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम धमोरा के भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवलराम पुत्र पन्नाराम के हिस्सा 1/5 की भूमि में से 1/2– 1/2 हिस्सा का वादी नं0 1 तथा प्रतिवादिया नं0 1/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं अर्थात ग्राम धमोरा के भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवल पुत्र पन्नाराम का नाम हजफ किया जाता हैं तथा सम्पूर्ण भूमि में 1/10 हिस्सा का वादी नं0 1 तथा 1/10 हिस्से का प्रतिवादिया नं0 1/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी/मुद्रांक शुल्क की गणना करें तथा स्टाम्प ड्यूटी/मुद्रांक शुल्क जमा करने के पश्चात ही तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निज..–.............–................ मुबलिक –.............–................. दाबन.–...............................–.... ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.................................... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.................–...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2022 को जारी की गई।

28/3/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–162/04 निर्णय दिनांकः– 28.03.2022

जी.सी.एम.एस.नं.–2018/00325

1– बनवारी दत्तक पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।

वादी

बनाम

1– सांवलराम पुत्र पन्नाराम (फौत)
1/1 परमेश्वरी पत्नी सांवलराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
2– झाबर पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
3– नानू पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
4– नानी बेवा खेमचन्द जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
5– हरलाल पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
6– अमरचन्द पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
7– हरसाराम पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
8– करणीराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
9– हेमाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी।
10– सचिव झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक, झुन्झुनू।
11– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 28.03.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 9 स्वर्गीय पन्नाराम के वारिस हैं। वादी प्रतिवादी नं0 1 सांवलराम का दत्तक पुत्र हैं। सांवलराम पुत्र पन्नाराम के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्री नहीं थी। वादी को गोद लिया उस समय कोई गोदनामा पंजीयन नहीं करवाया था। इसलिए दिनांक 20.06.2003 को सांवल पुत्र पन्नाराम ने वादी के हक में उपपंजीयक उदयपुरवाटी के यहां पर गोदनामा करवाकर वैसे वादी बचपन से ही सांवल के पास पुत्र के रूप में रह रहा था। ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 पटवार हल्का धमोरा में अवस्थित है। पन्नाराम के पांच लड़के थे। जिसमें पन्ना की मृत्यू होने के बाद में प्रतिवादी नं0 1 सांवलराम का 1/5 हिस्सा उसके हिस्से में आयी यह भूमि उसे अपने पिता से मिली थी व पीढ़ियों से काश्त करते आ रहे है व उपरोक्त भूमि में वादी को गोद लेकर सांवल के [illegible] हिस्सा में 1/2 हिस्सा वादी का हो गया। 1/5 हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 1 दोनों [illegible] काश्त करते हैं व काबिज हैं। इसलिए वादी अपने 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/5 का अलग खाता [illegible] चाहता है। इसलिए घोषणार्थ का वाद पेश किया हैं। उपरोक्त विवादग्रस्त [illegible] धमकी दी है कि इसे वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

बेचेगा इसलिए यह दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। अतः वाद पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वादी वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि के 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्से कुल भूमि में हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार हैं।

प्रतिवादीगण सं0 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 बावजूद तामिल सूचना व बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रतिवादी नं0 1, 5, 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया तथा अतिरिक्त उत्तर में अंकित किया कि जवाबदेहन्दा प्रतिवादी नं0 1 ने वादी को कभी भी गोद नहीं लिया ना ही प्रार्थी प्रतिवादी नं0 1 सांवलराम व उसकी पत्नी परमेश्वरी ने गोद लेने की रस्म अदा की। सॉवलराम व उसकी पत्नी ने कोई गोदनामा वादी के हक में नहीं करवाया। अगर कोई गोदनामा करवाया गया हो तो वह प्रार्थी सांवलराम व उसकी पत्नी को गुमराह करके करवाया गया है जो गलत हैं व फर्जी हैं। प्रार्थी प्रतिवादी नं0 1 ने उसकी पत्नी परमेश्वरी ने प्रतिवादी नं0 7 का जायन्दा पुत्र जगदीश को गोद लिया था जिसकी गोद लेने की सारी रस्में की गई थी। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा–खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादी व प्रतिवादी नं0 1/1 ने उपस्थित होकर दिनांक 10.02.2022 को राजीनामा पेश किया। राजीनामा के अनुसार सांवलराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1/1 को हिस्सा 1/2–1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तो कोई ऐतराज नहीं हैं। वादी की पहचान श्री ईश्वर सिंह एडवोकेट ने तथा प्रतिवादीया नं0 1/1 की पहचान श्री अशोक कुमार स्वामी एडवोकेट ने की।

बहस दावा अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीया संख्या 1/1 ने भी राजीनामा के अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति जताई तथा कथन किया कि सांवलराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1/1 को हिस्सा 1/2 – 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम धमोरा भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवलराम पुत्र पन्नाराम का हिस्सा 1/5 हैं। सॉवलराम फौत हो चुका हैं। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं0 1/1 ने स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया कि ग्राम धमेारा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवलराम पुत्र पन्नाराम के हिस्से की भूमि 1/5 में से 1/2 – 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादीया नं0 1/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त विवेचन से राजीनामा के अनुसार पर वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम धमोरा भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवलराम पुत्र पन्नाराम का हिस्सा 1/5 भूमि का राजीनामा के आधार पर वादी को 1/10 तथा प्रतिवादीया नं0 1/1 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

वादी का वादपत्र राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा डिकी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम धमोरा के भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवलराम पुत्र पन्नाराम के हिस्सा 1/5 की भूमि में से 1/2– 1/2 हिस्सा का वादी नं0 1 तथा प्रतिवादिया नं0 1/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं अर्थात ग्राम धमोरा के भूमि खसरा नम्बर 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1281, 1282, 1283, 1284, 1295, 1296, 1297, 1298 कुल तादादी 5.00 है0 में सॉवल पुत्र पन्नाराम का नाम हजफ किया जाता हैं तथा सम्पूर्ण भूमि में 1/10 हिस्सा का वादी नं0 1 तथा 1/10 हिस्से का प्रतिवादिया नं0 1/1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार डी.एल.सी. दर से गणना कर स्टाम्प ड्यूटी लेकर अमल दरामद करें। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। डिकी पर्चा जारी हो।

28/3/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:33:52 IST
Reason: SelfAttested